निगरानी 1462-I-15

न्यायालय माननीय रेवेन्यू बोर्ड ऑफ मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /2015 निगरानी

रामनारायण कुशवाह पुत्र श्री लालचंद कुशवाह, निवासी तोपपुरा विदिशा .... निगरानीकर्ता

बनाम

नवलसिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह अहिरवार निवासी टीला खामबाबा ग्राम बैस, तह. व जिला–विदिशा .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू.रा.संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2011 पारित न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील विदिशा के प्र.क्र. 9ए–70/14–15 व मामले नवलसिंह विरूद्ध शासन ग्राम वेस

माननीय महोदय,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

इस निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक नवलसिंह ने कलेक्टर महोदय जनसुनवाई विदिशा के यहां दिनांक 25.11.14 को आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि ग्राम बैस, पटवारी हल्का नंबर 57, तह. व जिला विदिशा की आराजी नंबर. 26/2 रकवा 0.496 हेक्टेयर भूमि पर निगरानीकर्ता ने जबर्दस्ती बलपूर्वक कब्जा कर लिया है व दिनांक 17.11.14 को उसने बलपूर्वक पिसी बो दी है। मना करने पर गालियां दीं एवं जान से मारने की धमकी दे रहा है, इसलिये निगरानीकर्ता रामनारायण के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर जमीन का कब्जा उससे वापस दिलाया जावे। अनावेदक/निगरानीकर्ता ने उक्त शिकायती आवेदन पर दर्ज तहसीलदार महोदय विदिशा के प्र.क्र. 9A-70/14-15 में जबाव देते हुए यह बताया कि उक्त भूमि पर उसके पिता स्व. श्री लालचंद कुशवाह के जीवनकाल से वर्ष 1974–75 से लगातार कब्जा चला आ रहा है एवं प्रत्येक वर्ष निगरानीकर्ता उक्त भूमि को हांक जोत बोकर फसल ले रहा है। इसलिये दिनांक 17.11.14 को कब्जा करने वाली बात पूर्णतः गलत है। साथ ही निगरानीकर्ता ने यह भी जबाव दिया कि उक्त भूमि के संबंध में अनावेदक एवं निगरानीकर्ता के पिता के मध्य दीवानी न्यायालय के निम्न अदालत से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक वादग्रस्त भूमि पर केस चला है जिसमें निगरानीकर्ता के विरूद्ध बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की एवं इस राजस्व

निरंतर ...02

XXIX(a)-BR(H)-11

(459)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1462-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	